ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति मीना वशिष्ट	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री जगदीश ठाकुर	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिवः—

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्री चेत राम सहगल	01.04.2013 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र॰	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31—03—2016 के अन्तशेष में अन्तर	2.58
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	——
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	0.83
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.41
5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.28
6	11.1	बिना बिलों के किया गया संदिग्ध भुगतान	0.46
7	11.2	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	7.65

8	12	निविदाओं के बिना किया गया अनियमित	1.91
9	13	बिल की छायाप्रति पर किया गया संदिग्ध एवं अनुचित भुगतान	0.11
10	14	किराए पर लिए गए गोदाम के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया अनियमित व्यय	0.14
11	15	क्रय की गई सामग्री के मूल्य का बिना कारण कम भुगतान करना	0.31
12	18	पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतान	0.01
13	23	मनरेगा से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएं	——
14	24	अंकेक्षण से असहयोग तथा पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख का अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना	——
15	25	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएं	——

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31/12/2016 से 07/01/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 08/2013, 07/2014, 01/2016 व 03/2014, 07/2014, 01/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 अं.वृ.

बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–03 दिनांक 07/01/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षणोपरान्त उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशी हि. प्र. रा. स. बैंक घुमारवीं के चैक संख्या 556518 दिनांक 11–01–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 **स्वः स्त्रोतः–** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	232271	0	232271	0	232271
2014–15	232271	0	232271	0	232271
2015–16	232271	0	232271	0	232271

4.2 **अनुदानः–** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	401738	1641939	2043677	1411972	631705
2014–15	631705	1584470	2216175	1292822	923353
2015–16	923353	2040940	2964293	2035980	928313

5 बैंक खातों के सन्दर्भ में पाई गई त्रुटियांः–

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹2.58 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2,58,350 का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में है।

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क'–पैरा 4(1)			232271
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख'–पैरा 4(2)			928313
			कुल योग (क):	1160584

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	3310	2936
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	6099	397847
3	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	8016	0
4	हरियाली	स्टेट बैंक पटियाला मोरसिंघी	1190	156498
5	हरियाली (लाभार्थी अंशदान)	स्टेट बैंक पटियाला मोरसिंघी	1001	86775
6	इन्दिरा/राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	4557	38815
7	13वां वित्तायोग–जिला परिषद्	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	5065	57651
8	13वां वित्तायोग (पंचायत समिति)	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	4510	2548
9	सांसद क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	4509	5722
10	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	5104	2090
11	एस डी पी	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	5426	147587
12	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	4508	3682
13	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेष			83
			कुल योग (ख):	**902234**
			रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):	**258350**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 रोकड़ बही में वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय का दर्ज़ न करनाः–

गत पैरा 5.1 में जो अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के व्यय हेतु बैंक खातों से आहरित समस्त राशि को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण

से दिनांक 31–03–2016 को बैंक खातों का शेष रोकड़ बहियों से ₹2,58,350 कम पाया गया है। इसके कारणों की विभाग द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्यतन (Updation) सुनिश्चित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना:–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:–

ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

(क) नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्यारह अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन ग्यारह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारे:–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती हैं। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। ग्राम पंचायत मोरसिंघी में लैजर खाते बनाने का प्रयत्न तो किया गया है परन्तु नियमानुसार सम्पूर्ण योजना के लिए एक समेकित खाता (Consolidated Account) खोलने के स्थान पर इन योजनाओं के अन्तर्गत करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए, निर्माण कार्य रजिस्टर की भान्ति, अलग अलग खाते खोले गए हैं। लेकिन इन खातों के आधे अधूरे प्रारूप के कारण न तो यह लैजर का और न ही निर्माण कार्य रजिस्टर का उद्देश्य पूर्ण कर पाते हैं। इस के अतिरिक्त लैजर खातों के प्रतिस्थापन के रूप में गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग ग्यारह रोकड़ बहियों का निर्माण भी किया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग समेकित लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही उपरोक्त वर्णित अनावश्यक अभिलेख को तैयार करने में अनावश्यक मानव श्रम की भी बर्बादी हुई है। इसके अतिरिक्त जब कभी भी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध बारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत मोरसिंघी में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित बारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन दस अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹0.83 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मोरसिंघी के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹82,859 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता	माह / वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
6099	**2399**	**7538**	**5822**	**3455**	**2849**	**3245**	**25308**
8016	**2468**	**709**	**315**	**94**	**12**	**24**	**3622**
1190	**4947**	**3863**	**3848**	**3439**	**3410**	**3496**	**23003**
1001	**1649**	**1709**	**1715**	**1778**	**1761**	**1746**	**10358**
4557	**0**	**0**	**49**	**520**	**11**	**735**	**1315**
5065	**0**	**0**	**0**	**283**	**1152**	**1216**	**2651**
4510	**0**	**0**	**265**	**586**	**766**	**931**	**2548**
4509	**0**	**0**	**891**	**1635**	**2485**	**684**	**5695**
5104	**0**	**0**	**0**	**0**	**1662**	**428**	**2090**
5426	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2587**	**2587**
4508	**0**	**0**	**586**	**1280**	**1351**	**465**	**3682**
कुल	**11463**	**13819**	**13491**	**13070**	**15459**	**15557**	**82859**

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशीाल योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत मोरसिंघी द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

7.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत मोरसिंघी द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.41 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मोरसिंघी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹40,750 की वसूली शेष थी।

गृहकरः पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2013—14 में 815, 2014—15 में 815 तथा 2015—16 में 815 परिवारों के लिए ₹50 प्रति परिवार की दर से गृहकर निम्न प्रकार से देय थाः—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	0	40750	40750	0	40750
2014—15	40750	40750	81500	81500	0
2015—16	0	40750	40750	0	40750

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹9.28 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹9,28,313 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिल वाउचरों के सन्दर्भ में पाई गई विसंगतियां:–

11.1 बिना किसी प्रकार के बिलों के किया गया ₹0.46 लाख का संदिग्ध भुगतान:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार दर्ज ₹46,732 के व्यय के विरूद्ध किसी भी प्रकार के बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। बिना बिलों के दर्ज इस संदिग्ध व्यय की सम्पूर्ण जांच विभागीय स्तर पर करके किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने की परिस्थिति में इस अनुचित भुगतान की वसूली दोषी से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	खाता 'ख' सामान्य निधि:–			
1	17.7.13	112	लेखन सामग्री	1500
	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना:–			
2	7.11.15	06	संजीवन कुमार से निर्माण सामग्री	18500
	संसदीय क्षेत्र विकास निधि:–			
3	6.10.15	7	नागरिक आपूर्ती विभाग से उनके बिल संख्या 0224108 दिनांक 21.10.15 से 70 बारी सीमेन्ट खरीद जिसका भुगतान चैक संख्या 324639 द्वारा किए जाने का विवरण रोकड़ बही में दर्ज है परन्तु सम्बन्धित वाउचर नस्ति में उपलब्ध नहीं थे।	14970
	13वां वित्तायोग – जिला परिषद्:–			
4	7.8.15	4	नागरिक आपूर्ती विभाग से 55 बारी सीमेन्ट खरीद जिसका भुगतान चैक संख्या 340457 द्वारा किए जाने का विवरण रोकड़ बही में दर्ज है परन्तु सम्बन्धित वाउचर नस्ति में उपलब्ध नहीं थे।	11762
			कुल योग:	**46732**

11.2 बिना उचित बिलों के किया गया ₹7.65 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹7,64,587 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '2'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11.3 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत उप पैरा 14.1 में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की नमूना जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए सीमेंट तथा सरिया के अतिरिक्त खरीदी जाने वाली समस्त निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.91 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट '3'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,90,768 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 बिल की छायाप्रति पर ₹10,786 का संदिग्ध एवं अनुचित भुगतान:—

पंचायत निधि (सामान्य) की रोकड़ बही के पृष्ठ 132 पर दिनांक 07—07—2014 को ₹10,786 का भुगतान चैक संख्या 318122 से मै0 ब्रदरज़ टिम्बर मरचैंटस कन्दरौर के पक्ष में दर्ज पाया गया जिनसे देवदार की लकड़ी की खरीद की गई है। इस भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की जांच में पाया गया इसमें आपूर्तीकर्ता के मूल बिल के स्थान पर भुगतान बिल की छायाप्रति पर किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छायाप्रति पर किया गया भुगतान मान्य नहीं है तथा मूल बिल के अभाव में संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की विभागीय जांच करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि कुछ गलत पाया जाता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 किराए पर लिए गए पंचायत कार्यालय के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया ₹0.14 लाख से अधिक का अनियमित व्यय:—

ग्राम पंचायत द्वारा श्री रणवीर सिंह से पंचायत भवन बनने से पूर्व कार्यालय प्रयोग तथा तदोपरान्त गोदाम के रूप में उपयोग हेतु कमरा किराए पर लिया गया है। इसके किराए

के रूप में माह 04/2013 से 03/2016 तक ₹400 प्रतिमाह की दर से अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में कुल ₹14,400 का अनियमित भुगतान किया गया है। यह कमरा कब से किराए पर लिया गया था इसका विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं था और न ही इस किराए के भुगतान का संकलित विवरण किसी रजिस्टर इत्यादि में रखा गया है जिस कारण से इस कमरे के किराए के रूप में अब तक किए गए कुल अनियमित व्यय की गणना नहीं की जा सकी है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी सम्पत्ति को किराए पर लिए जाने के लिए प्रावधित नियमों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को किराए पर लेने से पूर्व अथवा किराया वृद्धि हेतु इसके किराए का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करवाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है तथा इस गोदाम के किराए का मूल्यांकन न तो कमरा किराए पर लेते वक्त करवाया गया है और न ही माह 04/2013 से किराया वृद्धि के वक्त करवाया गया है। इस कारण से इस गोदाम को किराए पर लिए जाने से अब तक किराए के रूप में किया गया समस्त भुगतान अनियमित व अनुचित है। अतः गोदाम किराए का मूल्यांकन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को अब लोक निर्माण विभाग से इसका मूल्यांकन नियमानुसार सुनिश्चित करने के अतिरिक्त अब तक इस मद में किए गए कुल व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 क्रय की गई सामग्री के मूल्य का बिना कारण ₹0.31 लाख का कम भुगतान करनाः—

संसदीय क्षेत्र विकास निधि के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹77,790 की निर्माण सामग्री की खरीद की गई थी। रोकड़ बही में इस खरीद के भुगतान की जांच में पाया गया कि इस खरीद के विरूद्ध ₹47,134 का ही भुगतान किया गया है। इस ₹30,656 के कम भुगतान के सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण/कारण वाउचर के साथ उपलब्ध अभिलेख में नहीं पाया गया जिस कारण से यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अब इस प्रकरण की गहन विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	दिनांक	रो. पृष्ठ	सामग्री	क्रय मूल्य	भुगतान
1	23.7.14	2	निर्माण सामग्री	19200	10000
2	10.11.14	3	पत्थर	3520	1457

3	18.4.15 व 7.11.15	6 व 8	निर्माण सामग्री दो किस्तों में भुगतान	55070	10000 25677
			कुल योग	**77790**	**47134**

16 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वर्ष 2014–15 के पश्चात वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को मात्र पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्ताक्षरों से। इसके अतिरिक्त बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतानः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (आई) के अनुसार पंचायत निधि के खाता 'क' में से पंचायत की गतिविधियों के प्रचार/विज्ञापन पर प्रतिवर्ष ₹2000 तक का व्यय किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मोरसिंघी के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 142 पर दिनांक 20/12/2014 को वाउचर संख्या 34 से ₹1000 का भुगतान दिनांक 08/04/2013 के 'हिमाचल दस्तक' समाचार पत्र के 'घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव' विशेष संस्करण में तत्कालीन पंचायत प्रधान व सचिव की फोटो छपवाने के बदले में किया गया है न कि किसी भी प्रकार की पंचायत गतिविधियों का प्रचार करने के लिए, जिस कारण से यह विज्ञापन व्यय पंचायत निधि पर उचित

प्रभार नहीं है। अतः इस अनुचित व्यय की उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 तकनीकी सहायक को किए भुगतान का रजिस्टर न रखा जानाः—

पंचायत निधि (सामान्य) की रोकड़ बही के पृष्ठ 134 पर दर्ज दिनांक 23—07—2014 को वाउचर संख्या 14 से श्री विजय सिंह, तकनीकी सहायक को दो निर्माण कार्यों के समापन उपरान्त ₹5500 का भुगतान प्रतिशतता आधारित 2ः की दर से प्रोत्साहन राशी के रूप में किया गया है। परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित किसी प्रकार का रजिस्टर/अभिलेख—जिसमें किए गए कार्य का विवरण, कार्य पूर्ण होने की दिनांक, पूर्ण कार्य का मूल्य इत्यादि दर्ज किया गया हो — का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार वह नियम जिनके अन्तर्गत यह भुगतान किया गया है, भी अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कारण से किए गए भुगतान की प्रामाणिकता की जांच नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख के अभाव में किसी प्रकार के दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार इस अभिलेख का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

20 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत मोरसिंघी में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर को आरम्भ ही नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

21 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों में से अधिकतर विशेषतः आर• टी• जी• एस• बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः–

23.1 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः–** मस्ट्रौल रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है।
2. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मोरसिंघी द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का अभिलेखन नहीं किया जा रहा है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23.2 मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रख रखावः–

मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्यविशेष के लिए अलग–अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 अंकेक्षण से असहयोग तथा पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख का अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पंचायत अधिकारियों से अंकेक्षणावधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा, दिनांक 31–03–2016 को अधूरे निर्माण कार्यों का ब्यौरा तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह सूचनाएं अभिलेख सहित पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा तैयार व प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था परन्तु न तो यह सूचनाएं और न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। पंचायत कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण से असहयोग एक अति गम्भीर मामला है जोकि उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 तक का समस्त अभिलेख अब अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत मोरसिंघी में तकनीकी सहायक के असहयोग के कारण निर्माण कार्यों के बिलों की अंकेक्षण जांच नहीं की जा सकी है। तथापि सचिव के पास उपलब्ध अभिलेख/वाउचर फाइलों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

25.1 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया

है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.2 हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.3 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.4 निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाएं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अतः इन मापन पुस्तिकाओं का आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25.5 हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

26 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियां:–

26.1 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन

उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत मोरसिंघी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तीकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उससे सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

27 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103

4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के योजनावार लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1)(a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 विविध अनियमितताएः–

28.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

28.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

28.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

30 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 15/2017—खण्ड—1 — 2468—2471 दिनाँकः 03.05.2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046